

## खान एवं भूतत्व विभाग

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो।	स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम
1	अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्राप्त परिवाद पर कार्रवाई (चिमनी ईट संचालन से) संबंधित परिवाद।	बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2021 के नियम 56 के आलोक में अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई की जाती है।	आम जनता	विभाग स्तर पर सचिव/निदेशक खान एवं जिला स्तर पर खनिज विकास पदाधिकारी।
2	लघु खनिजों के खनन पट्टों की बंदोबस्ती हेतु प्राप्त परिवाद पर कार्रवाई।	बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 29 (क) बन्दोबस्ती की रीति का प्रावधान है, जिसके आलोक में बालूघाटों के बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाती है।	परिवादी	विभाग स्तर पर सचिव/निदेशक खान एवं जिला स्तर पर खनिज विकास पदाधिकारी/समाहर्ता।
3	ईट एवं मिट्टी से रॉयल्टी भुगतान से संबंधित परिवाद।	बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 33 खनन क्रिया अनुज्ञा पत्र देना एवं 38 ईट मिट्टी पर समेकित स्वामित्व का निर्धारण का प्रावधान है।	आम जनता	विभाग स्तर पर सचिव/निदेशक खान एवं जिला स्तर पर खनिज विकास पदाधिकारी।
4	परिवाद दायर किये जा सकने वाले योजना, कार्यक्रम, सेवाओं में एक से अधिक जिलों अथवा पुरे राज्य से संबंधित किसी मामले का परिवाद	बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2021 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।	आम जनता	विभाग स्तर पर सचिव/निदेशक खान एवं जिला स्तर पर खनिज विकास पदाधिकारी।